# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू याचिका संख्याः— 11 / 2025

अंतर्गत

अपील संख्या :—1246 / 2025

डॉ. हरलाल रैगर

—अपीलार्थी

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर व अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

**आदेश की दिनांक** : 08.04.2025

**उपस्थित —**

**अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता** : **सुधीर गुप्ता,** अधिवक्ता

**समक्ष :— चेतन राम देवडा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

अपीलार्थी ने पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या 3532 / 2025 डॉ. हरलाल रैगर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2025 में माननीय अधिकरण को निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी की परिवेदना को देखते हुए अधिकरण में प्रस्तुत होने पर 30 दिवस में निस्तारित करे। पुनर्विलोकन याचिका में निवेदन किया कि अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.01.2025 के संबंध में एक अपील संख्या 1246 / 2025 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की अपील में आदेश दिनांक 18.02.2025 द्वारा दो सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और दो सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उसने अधिकरण के आदेश दिनांक 18.02.2025 के संबंध में माननीय उच्च न्यायलय जयपुर में एसबी सिविल याचिका संख्या 3532 / 25 प्रस्तुत की, जिसमें याचिकर्ता को अधिकरण में पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने और याचिका में उठाये गये तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति में मात्र 19 माह का समय शेष है और अपीलार्थी का प्रकरण पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान राज्य से कर्वड है। अपीलार्थी पेरालाईसिस से पीड़ित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसके गृह निवास से काफी दूर किया गया

है। अपीलार्थी द्वारा 04.03.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जो तथ्य माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष भी उठाये गये थे, इन्हीं तथ्यों के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायलय द्वारा रिट याचिका एसबीसी सिविल संख्या 3532/2025 के निर्णय दिनांक 12.03.2025 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिकरण के आदेश दिनांक 10.02.2024 का पुनर्विलोकन किया जाकर अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 पर रोक लगाई जाकर स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलाथी द्वारा आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध अधिकरण में अपील संख्या 1246/2025 दायर की गई, जिसका निस्तारण अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 18.02.2025 को किया जाकर अपीलार्थी के अनुरोध पर अपीलार्थी को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दो सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और प्रत्यर्थी विभाग को दो सप्ताह में अभ्यावेदन का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1246/2025 में आलौच्य आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के लिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का अपील में यह भी कथन रहा है कि उसकी सेवानिवृति में मात्र 21 माह का समय शेष है, परंतु अपील में बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अपीलार्थी के निवेदन के आधार पर अपील संख्या 1246/2025 का निस्तारण आदेश दिनांक 18.02.2025 द्वारा किया गया। माननीय उच्च न्यायलय द्वारा एसबीसी सिविल रिट पिटीशन संख्या 3235/2025 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचि द्वारा निवेदन करने पर याचिका को वापस लेने और अधिकरण के समक्ष अपनी परिवेदना के निस्तारण हेतु सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया। इस आदेश में अधिकरण के समक्ष पूर्व में अपील दायर करने एवं उसके निस्तारित होने का कोई तथ्य अंकित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र में एक नया तथ्य प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी लकवा ग्रस्त है। इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत परिवेदना में भी अंकित किया गया है, परंतु यह तथ्य/आधार प्रस्तुत अपील में नहीं है। अपीलार्थी द्वारा लकवा ग्रस्त होने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज ( पेज 14) पर है, जो अपीलार्थी की दिनांक 15 जुलाई 2016 को महात्मा गांधी अस्पताल में की गई (एमआरआई स्कैन ऑफ ब्रैन) है, जिसके

अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की स्टडी ऑफ ब्रैन नॉर्मल है अर्थात इसमें किसी तरह का कोई असामान्यता नहीं है।

हम यह पाते है कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण के संबंध में प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के अनुरोध पर ही प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और उसका समयबद्व तरीके से निस्तारण किये जाने हेतु अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी के लकवा ग्रस्त होने का जो नया आधार लिया गया है, उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलार्थी का लकवा ग्रस्त होना प्रमाणित नहीं होता है और प्रस्तुत चिकित्सा दस्तावेज माह जुलाई 2016 के है।

अतः हम पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में कोई आधार नहीं पाते है। प्रकरण के प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र 200/– रू की कोस्ट पर खारिज किया जाता है। कोस्ट की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करायी जाकर रसीद आगामी सुनवाई तिथी पर अधिकरण को प्रस्तुत की जावे।

आदेश की अनुपालना देखने हेतु पत्रावली दिनांक 30.04.2025 को सूचीबद्व किया जावे।

**(लेखराज तोसावडा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**